मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3/11/2002/1/3

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2002
5 अगस्त, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :—राज्य शासन के विभिन्न विभाग/स्थापनाओं में कार्यरत नियमित शासकीय सेवकों के लिए "फरलो योजना"।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों/स्थापनाओं में कार्यरत् नियमित शासकीय सेवकों के लिए राज्य शासन निम्नानुसार "फरलो योजना" लागू करता है :—

1. **योजना का नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति :**

1. यह योजना "मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (फरलो) योजना, 2002" कहलायेगी।

2. यह योजना इस ज्ञाप के जारी होने के दिनांक से लागू होगी।

3. इस योजना के अन्यथा उपबंधों को छोड़कर, यह योजना ऐसे नियमित शासकीय सेवकों के लिए लागू होगी, जो मध्यप्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त हैं, और जो उन स्थापनाओं में नियुक्त/कार्यरत् हैं, जिन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

परन्तु यह योजना निम्नलिखित विभागों के, प्रत्येक के सामने कोष्ठकों में वर्णित शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगी :—

(क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा, सह चिकित्सा पैरा मेडिकल और तकनीकी स्टाफ),

(ख) चिकित्सा शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ, सह चिकित्सा पैरा-मेडिकल और तकनीकी स्टाफ),

(ग) तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग (अध्यापन स्टाफ, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला स्टाफ),

(घ) उच्च शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ, पुस्तकालय, खेल तथा प्रयोगशाला स्टाफ),

स्कूल शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ तथा प्रयोगशाला स्टाफ),

आदिम जाति कल्याण विभाग (अध्यापन स्टाफ तथा प्रयोगशाला स्टाफ),

गृह (पुलिस) विभाग (अलिपिकवर्गीय),

(ज) परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक,

(झ) ऐसे शासकीय सेवक जो निलंबन में हो अथवा जिनके खिलाफ अभियोजन चल रहा हो।

2. फरलो की शर्तें :

1. स्वेच्छा से इस प्रयोजन के लिए आवेदन-पत्र देने पर आवेदक को कम से कम तीन वर्ष का तथा अधिकतम पांच वर्ष का फ़रलो दिया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व शासकीय सेवक फरलो से वापस नहीं आ सकेगा।

2. राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में प्रशासकीय विभाग, तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों के मामले विभागाध्यक्ष तथा चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का फरलो स्वीकृत अथ अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। विभागाध्यक्ष तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के मा में फरलो समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से स्वीकृत किया जा सकेगा।

3. फरलो की अवधि में शासकीय सेवकों को अपनी इच्छानुसार देश या विदेश में कोई अन्य नौकरी स्वरोजगार करने की स्वतंत्रता रहेगी। फरलो की समाप्ति पर सरकार सेवक जब राज्य शासन में कार्य ग्रहण करेगा, तो उसके द्वारा फरलो की अवधि में किए गए कार्य तथा रोजगार के संबंध में एक सं विवरण प्रस्तुत करना होगा।

4. फरलो की अवधि के दौरान निजी व्यवसाय अथवा नौकरी करने के बारे में मध्यप्रदेश सिविल (आचरण) नियम, 1965 के नियम 16 के उप नियम (1) के प्रावधान शिथिल रहेंगे।

5. फरलो लेने वाला शासकीय सेवक राज्य शासन के अन्य विभाग अथवा राज्य शासन द्वारा नियंत्रित सहायता अनुदान प्राप्त किसी निगम, मंडल, कंपनी, स्वशासी संस्था, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय अथवा स्थानीय निकाय में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। राज्य शासन के इन कार्यालयों तथा सं में वह कन्सेलटेंट के रूप में भी कार्य करने से वंचित रहेगा।

6. फरलो के प्रकरणों में सक्षम अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे शासकीय सेवक के आ निरस्त करें जिन्हें शासन की सेवा में रखना जनहित में है। जिन शासकीय सेवकों के खिलाफ वि कार्यवाही चल रही हो या शुरू की जाने वाली हो, उनके मामले में प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष दोष के आधार पर निर्णय लेंगे। अगर आरोप इस तरह के हों कि दीर्घ शास्ति दिये जाने की प्रबल हो, तो फरलो अस्वीकृत किया जाना चाहिये। अगर अभियोजन स्वीकृति मांगी गई हो, पर निर्णय हो जाने के बाद ही आवेदन पर निर्णय लिया जाये।

7. फरलो के दौरान संबंधित शासकीय सेवकों को अवकाश देने के पूर्व देय मूल वेतन एवं उस भत्तों (महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता) की 50 प्रतिशत राशि देय होगी। श सेवक के वेतन से सामान्य भविष्य निधि, समूह बीमा योजना, मकान किराया, आयकर आदि की नियं कटौत्री की जायेगी। फरलो की अवधि में शासकीय सेवक की मृत्यु होने की दशा में उसे लागू के अनुसार परिवार कल्याण योजना अथवा समूह बीमा योजना का लाभ नियमानुसार देय हो

8. शासकीय सेवक फरलो अवधि में उसे आवंटित शासकीय आवास रख सकेगा और किराया अवधि पर लागू शासकीय नियमों के अनुसार देय होगा।

9. फरलो की अवधि में शासकीय सेवक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

10. फरलो की अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा और यह अवधि अवकाश हेतु गणना में नहीं ली जायेगी। फरलो के साथ अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं कि

11. फरलो की अवधि में शासकीय टेलीफोन तथा शासकीय वाहन सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

12. संवर्ग में कर्मचारी की वरिष्ठता यथावत् रहेगी। परन्तु वह संवर्ग में किसी प्रकार की क्रमोन्नति तथा पदोन्नति हेतु विचार में नहीं लिया जायेगा और न ही उसे क्रमोन्नति/पदोन्नति का काल्पनिक रूप में लाभ दिया जायेगा।

13. फरलो की अवधि, पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना हेतु हिसाब में नहीं ली जायेगी।

14. ऐसे शासकीय सेवक, जिन्होंने एक निश्चित अवधि तक सेवा करने हेतु शासन के साथ बंध-पत्र निष्पादित किया है, उन्हें उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व फरलो की पात्रता नहीं होगी।

15. ऐसे शासकीय सेवक, जिन्होंने शासन से गृह निर्माण, वाहन इत्यादि हेतु कोई ऋण लिया है, उनसे नियमानुसार वसूली जारी रहेगी।

16. फरलो की अवधि में गृह-निर्माण, वाहन आदि ऋण की पात्रता नहीं होगी।

17. फरलो की अवधि में शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के एक आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी निर्देशों के तहत अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

18. फरलो की अवधि में शासकीय सेवक का पद भरा समझा जाएगा। फरलो पर प्रस्थित शासकीय सेवक के वेतन के आहरण की व्यवस्था संबंधी आदेश जारी करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष सक्षम होंगे।

19. फरलो की अवधि में शासकीय सेवक किसी भी समय शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे सकेगा। त्यागपत्र देने के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। अगर फरलो पर जाते समय शासकीय सेवक अर्हकारी सेवा से पेंशन का पात्र है, तो फरलो के दौरान शासकीय सेवक किसी भी समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकेगा। इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

20. अगर पांच साल के बाद शासकीय सेवक शासन की सेवा में उपस्थित नहीं होता है तो :—

(अ) यदि उसने पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है तो, यह माना जायेगा कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

(ब) यदि उसने पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा पूरी नहीं की है तो, यह माना जायेगा कि उसने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

2. कृपया इन निर्देशों का अपने समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

3. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 621/1356/2002/नियम/चार, दिनांक 5-8-2002 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश से,

(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

720/5/1

पृ. क्रमांक एफ सी-3/11/2002/1/3

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2002
5 अगस्त, 2002

प्रतिलिपि :—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर पृष्ठांकन हेतु।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री मंत्रालय, भोपाल।
7. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
8. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर।
12. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-7 (1), 7(2) एवं कक्ष 7(3), मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
18. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
19. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
20. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल/मध्यप्रदेश

पृ.क्र./स्था./रा.प.रा./1981

भोपाल दिनांक 20.8.02

(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि:—
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल।
3. मुख्य संचालक वन विकास निगम म.प्र. भोपाल।
4. प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ म.प्र. भोपाल।
5. निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान म.प्र. जबलपुर।
6. समस्त वन संरक्षक म.प्र.।

की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19/8

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.शा.)
म.प्र. भोपाल

शाकेमुभो—868—असयाप्रवि—6-8-2002—1,000.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक सी–3/11/2002/3/एक

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :– पदोन्नति हेतु फरलो अवधि की गणना अर्हकारी सेवा में किए जाने के संबंध में।
संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञाप कमांक सी–3–11/2000/3/1, दिनांक 2–5 अगस्त, 2002, ज्ञाप कमांक सी–3–11/2000/3/1,दिनांक 30 जुलाई, 2007 एवं ज्ञाप कमांक सी–3–11/2000/3/1, दिनांक 20 फरवरी, 2008.

राज्य शासन द्वारा ज्ञापन दिनांक 2–5 अगस्त, 2002 द्वारा विभिन्न विभाग/स्थापनाओं में कार्यरत नियमित शासकीय सेवकों के लिए फरलो योजना लागू की गई थी जिसमें फरलो की शर्त कमांक 2.12 एवं 2.13 के प्रावधान निम्नानुसार है :–

2.12 संवर्ग में कर्मचारी की वरिष्ठता यथावत रहेगी। परन्तु वह संवर्ग में किसी प्रकार की कमोन्नति/पदोन्नति हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा और न ही उसे कमोन्नति/पदोन्नति का काल्पनिक रूप से लाभ दिया जाएगा।

2.13 फरलो की अवधि पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना हेतु हिसाब में नहीं ली जाएगी।

2/ उक्त प्रावधान के तारतम्य में कतिपय विभागों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है:–

(1) संबंधित कर्मचारी के फरलो अवकाश से लौटने के बाद उससे कनिष्ठ शासकीय सेवक को दी गई पदोन्नति के दिनांक से उसे पदोन्नति की पात्रता होगी अथवा नहीं?

(2) शासकीय सेवक की फरलो से वापिस आने के बाद आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में संबंधित शासकीय सेवक की पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में फरलो की अवधि को गणना में लिया जाएगा अथवा नहीं ?

3/ उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिस शासकीय सेवक को फरलो अवकाश स्वीकृत किया गया है उसके फरलो अवकाश से लौटने पर उसकी वरिष्ठता यथावत रहेगी परन्तु फरलो अवधि में उससे कनिष्ठ शासकीय सेवक को दी गई कमोन्नति/पदोन्नति दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति/कमोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

4/ फरलो अवधि वेतनवृद्धि एवं पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा गणना में नहीं ली जाती है। अ पदोन्नति एवं कमोन्नति/समयमान वेतन के लिए विचार करते समय फरलो अवधि की गणन अर्हकारी सेवा में नहीं ली जाएगी अर्थात् पदोन्नति/कमोन्नति, समयमान वेतन हेतु अर्हकारी सेवा व गणना फरलो अवधि को घटाते हुए की जायेगी।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक सी–3/11/2002/3/एक
2009

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 0

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.भोपाल
10. सचव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,म.प्र. च्च न्यायालय,खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि. मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(व्ही.एस.सावनेर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(14)
723/33

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक सी – 3–11/2000/3/एक भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर,2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
संमस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य पदेश ।

विषयः– पदोन्नति हेतु फरलो अवधि की गणना अर्हकारी सेवा में किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16 जनवरी, 2009 एवं 6 मार्च, 2010.

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 6 मार्च, 2010 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि फरलो से वापसी उपरांत मूल वेतन का निर्धारण अंतरिम अवधि की वेतनवृद्धियों को गणना में लेते हुए किया जाये परन्तु फरलो योजना की कंडिका 2(7) के अनुसार देय राशि के अलावा कोई राशि नहीं दी जायेगी अर्थात् एरियर की पात्रता नहीं होगी। उपरोक्त निर्देशों के जारी होने से इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 16 जनवरी, 2009 तथ्यहीन हो गया है। अतः इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 16 जनवरी,2009 निरस्त किया जाता है।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

578 22.7.2010

(15) 136 124

पृ.कमांक सी–3–11/2000/3/एक · भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर,2010

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5 राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव/अवर सचिव,स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19 अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20 अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।
21 श्री प्रकाश राव, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी.कम्प्यूटर कक्ष बल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(आर.बी.वैष्णव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(16) (132) 425

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3–11/2000/1/3 भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।

विषयः– फरलो अवधि में वेतनवृद्धि का लाभ देने बावत्।
संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 2/5 अगस्त, 2002.

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–11/2000/3/एक, दिनांक 20 फरवरी, 2008 को निरस्त करते हुए पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि फरलो से वापसी उपरान्त वापसी की तारीख को मूल वेतन वह निर्धारित किया जाये जो अंतरिम अवधि की सभी वेतनवृद्धियॉं (अन्यथा अपात्र न होने की दशा में) स्वीकृत होने पर इस दिनांक को देय होता, किन्तु फरलो की अवधि के लिये फरलो योजना की कंडिका 2 (7) के अनुसार देय राशि के अलावा कोई राशि नहीं दी जायेगी अर्थात् एरियर की पात्रता नहीं होगी।

2/ उपरोक्त निर्देश फरलो से वापसी पर केवल वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिये है। इससे समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 2/5 अगस्त, 2002 द्वारा जारी निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2.12 एवं 2.13 प्रभावित नहीं होंगे। इन बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/3/2010
(अकील हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....2

पृष्ठांकन कमांक सी 3–11/2000/1/3 भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2010

प्रतिलिपि –

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र.भोपाल,
8. मंत्री/राज्य मत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र. भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल,
10. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचित/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. उप सवि/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल,
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
19. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश.शासन
सामान्य प्रशासन विभाग